समक्ष जी. आर. मजीठिया, माननीय न्यायमूर्ति

रणधीर कौर और अन्य, *अपीलकर्ता,*

बनाम

बलबीर सिंह और अन्य - उत्तरदाता।

आदेश सं 1985 के 198 *से प्रथम अपील।*

31 अगस्त, 1989।

मोटर वाहन अधिनियम, 1939- धारा 110-ए - *मुख्य सड़क पर बस चालक अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सकता था और स्कूटर चालक को सामने के पहिये के नीचे कुचल देता था - मृतक विपरीत दिशा से मुख्य सड़क में प्रवेश करता है - बस-चालक की लापरवाही - रेस ईप्सा लोकइटर नियम लागू होता है।*

अभिनिर्णित किया कि वास्तव में, यह बस चालक की लापरवाही का परिणाम था। वह पहले से ही मुख्य सड़क पर था और वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका जब मृतक फिलिंग स्टेशन के मोड़ पर बातचीत करने के बाद औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर जाने की प्रक्रिया में था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक पहले ही मुख्य सड़क में प्रवेश कर चुका था। बस विपरीत दिशा से आ रही थी। चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने स्कूटर सवार को वाहन के बाएं पहिये के नीचे कुचल दिया। इस प्रकार के मामलों में, मैक्सिम *रेस इप्सा लोक्विटर* लागू होता है। *रेस्प्सा लोक्विट्र* का सिद्धांत उस व्यक्ति पर लागू होता है जो दावा याचिका को छोड़ रहा है। वह इरास जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा। इस खोखले दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है: उसने भौतिक तथ्यों को छिपाया है। रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर, यह मानना संभव है कि दुर्घटना हुई जैसा कि चालक द्वारा आरोप लगाया गया है। रणधीर कौर और अन्य बनाम अलबीर सिंह और अन्य (जीआर मजीठिया, जे।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी श्री बी एस नेहरू के न्यायालय के दिनांक 6 नवम्बर, 1984 के आदेश से प्रथम अपील, जिसमें *याचिका को खारिज कर दिया गया था और पक्षकारों*

को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

दावा: - मुआवजे के अनुदान के लिए मोटर वाहन अधिनियम की *धारा 110-ए के तहत आवेदन।*

अपील में दावा: - निचली अदालत के आदेश को *पलटने के लिए।*

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील *एलएम सूरी, एडवोकेट रविंदर अरोड़ा और एडवोकेट अंजलि कपूर।*

उत्तरदाताओं के लिए *कोई नहीं।*

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंडीगढ़ के दिनांक 6 नवंबर, 1984 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था।

(2) तथ्य:

20 मई, 1982 को 7 ए.एम. बजे राम सिंह मृतक ने मेसर्स पंजाब बेवरेजेज (पी) लिमिटेड 180, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ में अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की बाजार आवश्यकता का सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। सर्वे करने के बाद वह सुबह करीब 8.00 बजे औद्योगिक क्षेत्र लौट रहे थे। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के बजवाड़ा रोड स्थित ईएमएम पी मोटर्स एंड फिलिंग स्टेशन पर अपने स्कूटर पर पेट्रोल भरवाया। उक्त फिलिंग स्टेशन के मोड़ पर बातचीत करते समय, वह औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर उतरने की प्रक्रिया में था, जब बस, जिसका पंजीकरण नंबर 2011 था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा सीएचडब्ल्यू 9033 सड़क के गलत दिशा में विपरीत दिशा से आया और स्कूटर से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक राम सिंह

उक्त बस के दाहिने पहिये के नीचे आ गया। बस उन्हें और उनके स्कूटर को लगभग 10/12 फीट की दूरी तक घसीटती हुई ले गई, जिससे उनके व्यक्ति के दाहिने पैर में कई चोटें आईं, जिससे उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। 20 मई, 1982 से 24 मई, 1982 तक उनका वहां इलाज चल रहा था, लेकिन अंततः उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिका में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए लिखित बयान दायर किया। उन्होंने *अन्य बातों के साथ-साथ* दलील दी कि अंबाला से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली एकतरफा यातायात सड़क मरम्मत के कारण अवरुद्ध हो गई थी और यातायात को सेक्टर 22, 23, 35 और 36 के चौराहे से अंबाला की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दिया गया था। दुर्घटना के समय ^ वह अंबाला की तरफ से आ रहे थे और उनकी लापरवाही के कारण दुर्घटना नहीं हुई। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 ने संयुक्त लिखित बयान दायर किया, जिसमें लगभग वही दलीलें दी गईं, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ली गई थीं।

(3) पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

(1) क्या राम सिंह की मृत्यु 20 मई, 1982 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी, जो कि बस संख्या 10 के तेज और लापरवाही से चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी। श्री बलबीर सिंह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सीएचडब्ल्यू -9033? यदि हां, तो किस प्रभाव तक?

(2) यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो दावेदार मुआवजे के किस प्रावधान के हकदार हैं और यदि हां, तो किससे? ओ.पी.पी.

(3) राहत

मुद्दा संख्या 1 के तहत, ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई। मुद्दा संख्या 2 के तहत उन्होंने पाया

कि दावेदार प्रतिवादियों से मुआवजे के रूप में 1,53,600 रुपये के हकदार हैं, लेकिन मुद्दा संख्या 2 के तहत उनके निष्कर्ष को देखते हुए। *उन्होंने* दावा आवेदन को खारिज कर दिया।

(4) अपीलकर्ताओं के वकील ने मुद्दा संख्या 1 के तहत निष्कर्ष की आलोचना की और तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है। मुझे लगता है कि विद्वान वकील की दलील में दम है। दुर्घटना उस समय हुई जब मृतक औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर जाने की कोशिश कर रहा था। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना के बाद कुछ लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और उनमें से एक ने मेसर्स पंजाब बेवरेजेज (पी) लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी। वाहन का चालक आरडब्ल्यूएल के रूप में दिखाई दिया और कहा कि एक मोटर साइकिल अचानक बस के सामने पेट्रोल पंप के परिसर से बाहर आई और उसके वाहन से टकरा गई। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिरह में उन्होंने इस प्रकार कहा :-

> उन्होंने कहा, 'मृतक मोटरसाइकिल से आया था. पेट्रोल पंप करीब एक गज की दूरी पर है। वास्तव में मृतक स्कूटर पर आ रहा था।

इसका कोई मतलब नहीं है जब गवाह ने कहा कि पेट्रोल पंप लगभग एक गज की दूरी पर है। वास्तव में, उनके कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल पंप दुर्घटना स्थल से लगभग एक गज की दूरी पर है। यह घटना तुरंत हुई प्रतीत होती है जब मृतक पेट्रोल लेने के बाद मुख्य सड़क पर आने की कोशिश कर रहा था। यह परिस्थिति अकेले प्रतिवादी नंबर 1 के कथन को झुठलाती है कि दुर्घटना स्कूटर चालक की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई। वास्तव में, यह बस चालक की लापरवाही का परिणाम था। वह पहले से ही मुख्य सड़क पर था और वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका जब मृतक फिलिंग स्टेशन के मोड़ पर बातचीत करने के बाद, औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर जाने की प्रक्रिया में

था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक पहले ही मुख्य सड़क में प्रवेश कर चुका था। बस विपरीत दिशा से आ रही थी। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने स्कूटर सवार को वाहन के बाएं पहिये के नीचे कुचल दिया। इस प्रकार के मामलों में, मैक्सिम *रेस इप्सा लोक्विटर* लागू होता है। इसका मतलब है कि जब यह इतना असंभव है कि इस तरह की दुर्घटना प्रतिवादी की लापरवाही के बिना हुई होगी कि एक अपमानजनक जूरी बिना किसी सबूत के पता लगा सकती है कि यह ऐसा हुआ था। [टॉर्ट्स के कानून पर सैल्मंड (15 वां संस्करण) पृष्ठ 30 देखें], पृष्ठ 77 पर हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम (तीसरा संस्करण) से निम्नलिखित अंश बहुत ही ग्रहणशील है: -

> "सामान्य नियम का एक अपवाद कि कथित लापरवाही के सबूत का बोझ वादी पर पहले पल में होता है, जहां पहले से स्थापित तथ्य ऐसे होते हैं कि उनसे उत्पन्न होने वाला उचित और प्राकृतिक निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी की लापरवाही के कारण शिकायत की गई चोट प्रतिवादी की ओर से लापरवाही की "अपनी कहानी बताती है"। कहानी इतनी साफ और स्पष्ट है।
>
> *पुष्पाबाई बनामरंजीत जी एंड पी कंपनी*[1], ने रिस्प्सा लोक्विटूर के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट *की*, पृष्ठ 346 पर एपेक्स कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की: -
>
> > सामान्य नियम यह है कि वादी को लापरवाही साबित करनी है, लेकिन कुछ मामलों में वादी को काफी कठिनाई होती है क्योंकि दुर्घटना का सही कारण उसे ज्ञात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिवादी के ज्ञान में है जिसने इसे पैदा किया था। वादी दुर्घटना को साबित कर सकता है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि प्रतिवादी की ओर से लापरवाही को स्थापित करने के लिए यह कैसे हुआ। इस कठिनाई से बचने के लिए रेस्इप्सा लोक्विटर के

[1] 1977 A.C.J. 34

सिद्धांत को लागू करने की मांग की *जाती है*। *शब्द का* सामान्य अर्थ यह है कि दुर्घटना "खुद के लिए बोलती है" या अपनी कहानी बताती है। ऐसे मामले हैं जिनमें दुर्घटना स्वयं के लिए बोलती है ताकि वादी के लिए दुर्घटना साबित करना पर्याप्त हो और इससे अधिक कुछ नहीं। यह प्रतिवादी को स्थापित करना होगा कि दुर्घटना उसकी लापरवाही के अलावा किसी अन्य कारण से हुई।

यह आगे इस प्रकार अभिनिर्णित किया की:

"जहां मैक्सिम लागू किया जाता है, वहां जिम्मेदारी प्रतिवादी पर होती है कि वह या तो यह दिखाए कि वास्तव में उसने लापरवाही नहीं की थी या दुर्घटना शायद इस तरह से हुई होगी जो उसकी ओर से लापरवाही को इंगित नहीं करती है।

कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों में कोई घटना घटित हो सकती है जिससे किसी के लिए भी इसके घटित होने के बारे में बात करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है, जैसे कि राजमार्ग पर दुर्घटना के मामले में जहां कोई गवाह नहीं होता है या जहां घटना से बात करने वाले व्यक्ति किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं होते हैं। *रेस्ड्प्सा* लोक्विटूर का डॉक्टरीन किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। यह केवल सबूत के मोड को प्रभावित करता है। कुछ परिस्थितियों में लापरवाही के प्रमाण की कठोरता को कम करने की दृष्टि से, सामान्य कानून ने उपरोक्त सिद्धांत को लागू किया।

(5) RW. 1 एकमात्र व्यक्ति है जिसे दुर्घटना और उसके होने के तरीके का ज्ञान था। *रेस्प्सा लोक्विटर का सिद्धांत* उस व्यक्ति पर लागू होता है जो दावा याचिका का विरोध कर रहा है। वह जिम्मेदारी

निभाने में विफल रहे हैं। इस बेबुनियाद दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भौतिक तथ्यों को छिपाया है। रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर, यह कहना संभव नहीं है कि दुर्घटना हुई थी जैसा कि चालक ने आरोप लगाया है।

(6) ट्रिब्यूनल ने पहले ही कहा है कि दावेदार मुआवजे के रूप में 1,53,600 रुपये के हकदार हैं। वकील या किसी भी पक्ष द्वारा कोई सार्थक तर्क नहीं दिया गया था कि मुद्दा संख्या 2 के तहत दर्ज निष्कर्ष गलत है और हस्तक्षेप की मांग करता है। मैं उसी की पुष्टि करता हूं।

(7) इसके परिणामस्वरूप, यदि अपील की अनुमति दी जाती है, तो दावेदार * एक उद्धरण सफल होता है। दावेदार दुर्घटना की तारीख से वसूली की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,53,600 रुपये की राशि के हकदार हैं। सभी उत्तरदाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई कीमत नहीं।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा